

## सायपरमेथ्रिन 25% ई.सी. कीटनाशक

सायपरमेथ्रिन 25% ई.सी. अत्यधिक प्रभावकारी साइपरमेथ्रिन आधारित नया पायरेथ्रोइड कीटनाशक है। इसके प्रति किलोग्राम 250 ग्राम सक्रिय तत्व मिला हुआ है।

**उपयोग :** सायपरमेथ्रिन कीड़ों पर मुख्यतः सांसर्ग से और खाने पर असर कारक जहर की तरह काम करता है और कीटनाशक के रूप में विशेषकर वहाँ यह अधिक प्रभावकारी साबित होता है। जहाँ कीड़ों पर इसके दोनो प्रभाव साथ में मुख्य रूप से यह सुझी कीटी तथा कीटनाशक है। इसकी विशेषता यह है कि इसका संसर्ग प्रभाव व्यापक होता है जिसके कारण इससे प्रभावित अधिकांश किस्म के कीड़ों की रोकथाम शुरू में ही हो जाता है। सायपरमेथ्रिन कीड़ोपर मौजान से निवृद्ध कर डूब करने वाली प्रतिक्रिया वाला भी है। गाढ़े फिडकब घोल का उपयोग कर विभिन्न प्रकार के कीड़ों की रोकथाम के लिए सायपरमेथ्रिन का उपयोग निम्नलिखित मात्रा में करें।

### प्रयोग की मात्राएँ / सिफारिश:

फसल नाम	कीड़ों का सामान्य नाम	मात्रा/हेक्टेयर	आखिर फिडकब
कपास	गोंला कीड़ा	80-180 ग्राम	900-1000 में अंतर (दिने)
तेला	फल तथा तना	20-30	200-300
निन्डी	फल तथा तना	35-50	500
मैंगन	फल तथा तना	35-50	500

इसका फिडकब घोल का उपयोग हेतु सिफारिश की गई पानी की मात्रा निम्न घनत्व व फिडकब के लिए कालम 5 में दी गई मात्रा का 1/4 पानी इस्तेमाल करें।

**कृषि रक्षा साधन :** स्ट्रअप पम्प (सिंगल तथा डबल बैरल) नेपसेक स्प्रेयर, पैर चालित स्प्रेयर, कम्प्रेसन नेपसेक स्प्रेयर, बैटरी चालित कम्प्रेसन स्प्रेयर तथा ए. ए.एस.पी.इ.ए.ए.सी. शक्ति यालक स्प्रेयर जिनमें सकलेट जेट नोजल हो।

**उपयुक्तताओं के लिए सावधानियाँ :**

- इसे अलमारी कर्म बालूना रखे की तरह इस्तेमाल करें।
- हवा के रुख में फिडकब करें।
- तसलेती कर लें कि उपकरण सही देखरेख में है और लीक नहीं कर रहे हों।
- उपधान तथा कीटनाशक लगे वर्खों को बर्खों से, आहार से व घरों से दूर रखिए।
- खाने पीने व घूमपान के पहले फिडकब के बाद हाथों व कीटनाशक लगी लूबा को धो लें।
- सभी कार्यकर्ताओं को संरक्षक पोशाक जैसे हैट, नकाय, सूती ओवर आल, तथा जूते पहनने चाहिए।
- तालाबी, जलमार्गों व खाइयों को कीटनाशक द्वारा या उपयोग किये डिब्बों द्वारा दूषित न होने दें।
- डिस्क कीटनाशक के आस-पास घूमपान न करें। न ही आग ले जायें।
- दस्तावे नकाय, चरमे, हैट, एगन (कमपास) तथा स्वर के जूते आदि संरक्षक पहनावा पहनें। इस उपधान को नारियों व खाइयों में जाने से रोकिये।
- दूषित वनस्पति (सर्जियाँ से पशुओं) से अलग रखिये।
- विष के लक्षण : उल्टी, निमोनिया, सांस का रुक-रुक कर आना, एतजी ..... आदि।

**प्राथमिक उपचार :** दूषित कपड़ों व जूतों को फॉरन हटा दें।  
**अँखें :** पानी से फॉरन 15 मिनट तक छीटे मारिये।  
**लूबा :** फॉरन साबुन व पानी से धो डालिये।

**सूँघने पर :** प्रभावित व्यक्ति को खुली व ताजा हवा में ले जायें। अधिक दुरी हालत में डाक्टर की चिकित्सा कराइयें।

**निगलने पर :** अधिक को उल्टी न करने दें। दूध या पानी में चाबित चारकोल की गोलाई दीजिये। उसे अस्पताल में या डॉक्टर के यहाँ फॉन भेजिये।

**औषध चिकित्सा :** उल्टी न करायें और दूध आदि न दें। सीनी को खुली हवा में या हवादार कमरे में रखें। विष के लक्षण दिखने पर फॉन डाक्टर को बुलायें व लक्षण के अनुसार चिकित्सा करायें।

**गोदाम का प्रयोग :**

- कीटनाशक के पैकेटों को उन मकानों या कमरों से दूर रखें। जिनमें अन्य पदार्थ खासकर खाद्य पदार्थ रखे जाते हों या फिर कीटनाशक के गूण के अनुसार उनको एक अलग कमरे में या अलमारी में ताला धामी लगाकर रखना चाहिए। कमरे का अलमारी का चुनाव कीटनाशक की मात्रा व प्रकृति पर निर्भर है।
- कीटनाशकों को रखने के लिए, बने हुए कमरों की मजबूत बनावट नमी रहित व मशी प्रकार फिडकियों व रोशनदानों के आकार का ध्यान रखें। डिस्के कीटनाशक की भाँप आदि न हों।

**वाहनों का प्रयोग :**

- कीटनाशक को रेलवे द्वारा भेजने के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी 'रेड टैरिफ' नियम के न्यूट्रिक पैकेट व पैकिंग आदि करयें। वाहनों में ले जाते समय या गोदामों में रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि खाद्य पदार्थ या पशु आहार सीधे कीटनाशक के सम्पर्क में न आने पायें।
- अगर दुर्घटनावाश कमी पैकेट आदि के फटने से खाद्य पदार्थ या पशु आहार इनके सम्पर्क में आ जायें तो यह पदार्थ या आहार पाने वाले को तब तक न दिया जायें जब तक कि उससे दूषितन मात्रा का निर्धारण किसी राज्य सरकार द्वारा मनीनीत व्यक्ति के द्वारा न हो जायें।
- अगर कीटनाशक पोशनों में रखते समय या वाहनों में ले जाते समय पैकेट से निकलना हुआ है तो यह खाद्य पदार्थ या गोदाम मानिक को डिस्कवाही लेनी व उन्हें वे सारे जमाय करने होंगे जिससे मिट्टी, पानी व वातावरण दूषित न होने पायें।

**खाली डिब्बों का निपटारा**

- खाली डिब्बों आदि को तोड़-मरोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।
- खाली डिब्बों का दोबारा इस्तेमाल रोकने के लिए उसे खुल स्थान पर न फेंके।
- कीटनाशक के डिब्बों, धोयन या बचे कीटनाशक को इस प्रकार सुरक्षित ढंग से निपटायें। जिससे वातावरण या पानी आदि दूषित न होने पायें।

**रासायनिक संघटन :**  
सायपरमेथ्रिन सक्रिय तत्व 25% मात्र/मात्र  
अन्य घटक 90% मात्र/मात्र  
कुल 90% मात्र/मात्र

**इस पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।**

## CYPERMETHRIN 25% EC INSECTICIDE

Cypermethrin 25% EC is a new, highly active synthetic pyrethroid insecticide based on cypermethrin, containing 250 gms or active ingredients per kilo-grams.

**Application :** Cypermethrin acts against insects mainly by contact and a stomach poison and its insecticidal activity is greatest, where two of action are combined over reasonable prolonged period. It is primarily a caterpillar insecticide. However the spectrum of its contact activity is a wide and significant initial control is usually provided of exposure pests is most insects orders. Cypermethrin also acts by its irritant and repellent action. The following doses of cypermethrin 25% EC are recommended for control of different pests using high volume spray.

Crop	Common name of the pest	Dosage /Ha.		Waiting period between last spray to harvest (days)
		a.l (gms.)	Formulation in water (litres)	
Cotton	Bollworms	40-70	160-280	400-800
	Jassids	20-30	80-120	200-300
Bhindi	Fruit & shoot borer	37-50	150-200	500
	Jassids			
Brijnal	Fruit & shoot borer	37-50	150-200	500
	Jassids & Eriachna beetle			

\*The quantity of water recommended is for high volume spray for low volume spray use 1/4th quantity of water indicated in volume 5 for dilution in water.

**Plant protection equipments :** Stir-up sprayer (single & double barre), Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery operated sprayer and ASPEE-HTP power sprayer fitted with flat jet nozzle.

### Precaution for users :

- Do not apply as an ultra-low-volume spray.
- Avoid spraying against wind.
- Ensure the equipment properly maintained and not leaking. Keeping the product of contaminated clothing away from the reach of children.
- Wash hands & exposed skin. Eating, drinking, smoking only after spraying operation.
- All workers should wear protective clothing i.e. hat, face cover, cotton cover-all and safety shoes.
- Store tightly closed in original containers. Away from foods & feeding stuffs.
- Do not contaminate ponds water & ditches with the powder or used containers.
- Avoid contact with skin, eyes & clothings.
- Do not smoke or take fire near the spillage. Wear protective clothings e.g. gloves, face shield, goggles, hat & rubber boots etc. Stop the product entering drains or ditches.
- Keep animals away from contaminated vegetables.

**Symptoms of poisoning :** Vomiting, pneumonia or pulmonary edema caused by respiration allergen/misfactation etc.

**First aid measure :** Remove contaminated clothing and shoes immediately.

**Eyes :** Flush immediately with water for 15 minutes.

**Spine :** Wash off immediately with water using soap.

**Inhaled :** Remove person to fresh air, get medical care in severe cases.

**Swallowed :** Do not make person vomit, give charcoal tablets in milk or water. Send to hospital or call doctor immediately.

**Drug therapy :** Do not vomiting or administer liquid. Keep patient in open air in ventilated rooms. In case of poisoning symptoms observes, call physician immediately and treat symptomatically.

**Storage :**

- The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the insecticide.
- The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry well-ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

**Transportation :**

- Packages containing material offered for transport by Rail, shall be packed in accordance with the conditions specified in "RED TARIFF" issued by the ministry of Railways.
- The material shall be transported or stored in way as not to come in direct contact with food stuff and animal feed.
- No food-stuff or animal feed which accidentally got mixed with material as a result of any damages to the packages containing material during transport or storage shall be released to the consignee unless it has been examined for possible contamination by perceptive authority, as may be notified by the state Govt.
- If any material is found to have leaked out in transport. It shall be the responsibility of the transport agency or the storage owner of make such measures urgently to prevent poisoning or pollution of soil or water, if any.

**Disposal of empty containers**

- The packages shall be broken & buried from habitation.
- The used packages shall not be left outside prevent their reuse.
- Packages or surplus material and washings should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

**Chemical Composition :**  
Cypermethrin a.i. 25.00% w/w  
Other ingredients 75.00% w/w  
Total 100.00% w/w

**NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LEAFLET.**

Read Instruction Leaflet before use.  
उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पढ़ें।

For Agricultural use only.  
केवल कृषि उपयोग के लिए।

Store in a cool, dry and well ventilated place.  
ठंडी, सूखी और अच्छी तरह हवादार जगहों संग्रह करें।

## Cypermethrin 25% EC CYDEV-25 Insecticide

सायपरमेथ्रिन 25% ई.सी.

## सायदेव-25

कीटनाशक

Regn. No. : CIR-180305/2021-  
Cypermethrin (EC) (426)-1633



Manufactured & Marketed By :

**Vedic Agro Science Pvt. Ltd.**

(An ISO 9001 : 201 & 14001 : 2015 Certified Company)

40, Strand Road, 5th Floor, Room No. : 26,

Kolkata - 700 001, West Bengal,

Helpline : 033 2262 2441,

E-mail : [vedic@vedicagro.com](mailto:vedic@vedicagro.com)

**Manufacturer Premises :**

Vill. Baligori, P.O. Baligori, P.S. : Tarakeswar,

Distt. : Hooghly,

West Bengal, PIN - 712 410



